

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी वन एवं वन्य जीव प्रभाग, अमरोहा।

पत्रांक 2689 / 14-1, दिनांक, अमरोहा, मई 27/5/2021,
सेवा में,

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक
मुरादाबाद वृत्त मुरादाबाद।

विषय :- जनपद अमरोहा में नहतौर-नूरपुर-अमरोहा-जोया मार्ग (एस.एच.-77) किमी 52 की दांयी पटरी पर ग्राम किशनगढ के खसरा सं० 289 में इण्डियन ऑयल कार्पो० लि० मुरादाबाद द्वारा स्थापित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.053818 हे० संरक्षित वन भूमि एवं 03 बाधक वृक्षों के विदोहन हेतु अनुमति के संबंध में।

महोदय

उपरोक्त विषयक जनपद अमरोहा में नहतौर-नूरपुर-अमरोहा-जोया मार्ग (एस.एच.-77) किमी 52 की दांयी पटरी पर ग्राम किशनगढ के खसरा सं० 289 में इण्डियन ऑयल कार्पो० लि० मुरादाबाद द्वारा स्थापित किये जा रहे रिटेल आउटलेट हेतु 0.053818 हे० संरक्षित वन भूमि एवं 03 बाधक वृक्षों का विदोहन कर गैर वानिकी प्रयोग हेतु भारत सरकार से अनुमति हेतु प्रस्ताव इस कार्यालय को ऑनलाइन प्राप्त हुआ है। अतः भारत सरकार से अनुमति प्राप्त किये जाने हेतु प्रस्ताव की 04 प्रतियां संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त प्रस्ताव अपनी संस्तुति सहित मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी उ०प्र० लखनऊ को प्रेषित करने की कृपा करें।

संलग्नक :- यथोपरित।

भवदीय

(रमेश चन्द्र)

प्रभागीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग
अमरोहा।